कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पं. माधवराव सप्रे महाविद्यालय
पेण्ड्रारोड, जिला–गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ.ग.)
AISHE-C-22377 College Code - 2806 Phone No.-07751220108 Email-pmrscollege2019@gmail.com

**2.1.2.** *Average percentage of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc. as per applicable reservation policy during the last five years*
*( exclusive of supernumerary seats)*

***Responses :***

1. *Admission extract of ST, SC, OBC during the session 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21.*
2. *State government rules for reserved category*
3. *Department of higher education order for reserved category*

Principal
Govt. Pt. Madhav Rao Sapre
College Pendra Road
Dist.-Gaurella-Pendra-Marwahi (C.G.)

PRINCIPAL
Govt. Pt. Madhav Rao Sapre
College Pendra Road
Distt.-Gaurella-Pendra-Marwahi (C.G.)

Scanned with CamScanner

2.1.1 2.1.1/2.1.2

## सत्र 2016–17 में प्रवेशित छात्र–छात्राओं की जानकारी

| कक्षा | सामान्य(Gen) | | | अनु. जाति (sc) | | | अनुसूचित जनजाति(st) | | | पिछडा वर्ग(obc) | | | अल्प संख्यक | | | महायोग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग |
| बी.ए. प्रथम | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 | 46 | 51 | 97 | 21 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69 | 91 | 160 |
| बी.ए. द्वितिय | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 10 | 17 | 63 | 80 | 15 | 38 | 53 | 1 | 3 | 4 | 38 | 116 | 154 |
| बी.ए. अंतिम | 1 | 10 | 11 | 0 | 6 | 6 | 4 | 55 | 59 | 2 | 45 | 47 | 0 | 2 | 2 | 7 | 118 | 125 |
| बी.एस.सी.(बायो) | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | 24 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 34 |
| बी.एस.सी.(गणित) | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| एम.ए.पूर्व(हिन्दी) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 |
| एम.ए.अंतिम(हिन्दी) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 |
| एम.ए.पूर्व(राज.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| एम.ए.अंतिम(राज.) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| एम.ए.पूर्व(समाज) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| एम.ए.अंतिम(समाज) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| पी.जी.डी.सी.ए. | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 |
| महायोग– | 14 | 32 | 46 | 4 | 24 | 28 | 83 +1 84 | 221 | 305 | 44 | 148 | 192 | 2 | 11 | 13 | 147 | 437 | 584 |

PRINCIPAL
Govt. Pt. Madhav Rao Sapre
College-Pendra Road
Distt. Gaurella-Pendra-Marwahi (C.G.)

PRINCIPAL
Govt. Pt. Madhav Rao Sapre College
Pendra Road, Distt. Bilaspur

Scanned with CamScanner

# Govt. Pt. MADHAR RAO SAPRE COLLEGE PENDRA ROAD Dist.- BILASPUR (C.G.)

## महाविद्यालय में प्रवेशित नियमित छात्र/छात्राओं की कक्षावार सांख्यिकी सत्र 2017—18

| CLASS NAME | GEN | | | OBC | | | SC | | | ST | | | PH | | | MINORTY | | | TOTAL | | | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | F | TG | M | F | TG | M | F | TG | M | F | TG | M | F | TG | M | F | TG | M | F | TG | |
| BA I | 6 | 6 | 0 | 22 | 36 | 0 | 5 | 5 | 0 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 84 | 0 | 159 |
| BA II | 0 | 7 | 0 | 16 | 37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 91 | 0 | 148 |
| BA III | 3 | 9 | 0 | 12 | 42 | 0 | 3 | 7 | 0 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 129 | 0 | 160 |
| BSc I (Biology) | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 46 |
| BSc I (Math) | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 21 |
| BSc II (Biology) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| BSc II (Math) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| MA Prev (Hindi) | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| MA Final (Hindi) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| MA Prev (Political) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 |
| MA Final (Plitical) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| MA Prev (Sociolog | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 |
| MA Final (Sociolog | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| PGDCA | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0 | 30 |
| TOTAL | 13 | 31 | 0 | 68 | 164 | 0 | 13 | 28 | 0 | 121 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 216 | 461 | 0 | 677 |

PRINCIPAL

Scanned with CamScanner

# शासकीय पं. माधवराव सप्रे महाविद्यालय, पेण्ड्रारोड, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) सत्र–2018–19

## महाविद्यालय में प्रवेशित नियमित छात्र छात्राओं की कक्षावार सांख्यिकी

| CLASS NAME | GEN | | | | OBC | | | | SC | | | | ST | | | | PH | | | | TOTAL | | | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | F | TG | TOT | M | F | TG | TOT | M | F | TG | TOT | M | F | TG | TOT | M | F | TG | TOT | M | F | TG | |
| BA I | 6 | 4 | 0 | 10 | 11 | 29 | 0 | 40 | 3 | 8 | 0 | 11 | 20 | 62 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 103 | 0 | 143 |
| BA II | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 48 | 0 | 64 | 1 | 4 | 0 | 5 | 18 | 40 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 94 | 0 | 130 |
| BA III | 1 | 6 | 0 | 7 | 12 | 48 | 0 | 60 | 6 | 2 | 0 | 8 | 47 | 38 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 94 | 0 | 160 |
| BSc I (Biology) | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 31 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | 0 | 59 |
| BSc I (Math) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| BSc II (Biology | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 26 |
| BSc II (Math) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| BSc III (Biology | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 21 |
| BSc III (Math) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MA Prev (Hindi) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 20 |
| MA Final (Hindi) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| MA Prev (Political) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 |
| MA Final (Plitical) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 |
| MA Prev (Sociology) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 20 |
| MA Final (Sociology | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 15 |
| PGDCA | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 29 |
| | 12 | 24 | 0 | 36 | 60 | 201 | 0 | 261 | 16 | 28 | 0 | 44 | 103 | 253 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 506 | 0 | 697 |

PRINCIPAL

## शासकीय पं माधवराव सप्रे महाविद्यालय पेण्ड्रारोड, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) सत्र 2019–20

### महाविद्यालय में प्रवेशित नियमित छात्र/छात्राओं की कक्षावार सांख्यिकी

| CLASS NAME | ST | | | | SC | | | | OBC | | | | GEN | | | | TOTAL | | | GRAND TOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | F | TG | TOT | M | F | TG | TOT | M | F | TG | TOT | M | F | TG | TOT | M | F | TG | |
| BA I | 25 | 56 | 0 | 81 | 2 | 7 | 0 | 9 | 22 | 39 | 0 | 61 | 5 | 3 | 0 | 8 | 54 | 105 | 0 | 159 |
| BA II | 14 | 56 | 0 | 70 | 3 | 9 | 0 | 12 | 10 | 30 | 0 | 40 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 97 | 0 | 126 |
| BA III | 20 | 39 | 0 | 59 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | 39 | 0 | 54 | 3 | 6 | 0 | 9 | 39 | 87 | 0 | 126 |
| BSc I (Biology) | 7 | 32 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 48 | 0 | 60 |
| BSc I (Math) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 18 |
| BSc II (Biology) | 2 | 13 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 27 | 0 | 31 |
| BSc II (Math) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| BSc III (Biology) | 8 | 16 | 0 | 24 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 33 | 0 | 45 |
| BSc III (Math) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| MA Hindi (I-Sem) | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 14 |
| MA Hindi (III-Sem) | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 20 |
| MA Political (I-Sem) | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 16 |
| MA Plitical (III-Sem) | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 |
| MA Sociology (I-Sem) | 4 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 |
| MA Sociology (III-Sem) | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| PGDCA | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 0 | 25 |
| TOTAL | 99 | 256 | 0 | 355 | 11 | 36 | 0 | 47 | 72 | 192 | 0 | 264 | 12 | 24 | 0 | 36 | 194 | 508 | 0 | 702 |

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Scanned with CamScanner

शासकीयपंमाधवरावसप्रे महाविद्यालयपेण्ड्रारोड,जिला–गौरेलापेण्ड्रामरवाही(छ.ग.)सत्र2020–21

महाविद्यालय में प्रवेशित नियमित छात्र/छात्राओं की कक्षावार सांख्यिकी

| CLASS NAME | ST | | | | SC | | | | OBC | | | | GEN | | | | TOTAL | | | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M | F | TG | TOT | M | F | TG | TOT | M | F | TG | TOT | M | F | TG | TOT | M | F | TG | |
| BA I | 20 | 42 | 0 | 62 | 1 | 3 | 0 | 4 | 24 | 28 | 0 | 52 | 5 | 8 | 0 | 13 | 50 | 81 | 0 | 131 |
| BA II | 20 | 54 | 0 | 74 | 2 | 7 | 0 | 9 | 19 | 43 | 0 | 62 | 8 | 6 | 0 | 14 | 49 | 110 | 0 | 159 |
| BA III | 10 | 64 | 0 | 74 | 2 | 9 | 0 | 11 | 9 | 31 | 0 | 40 | 2 | 3 | 0 | 5 | 23 | 107 | 0 | 130 |
| BSc I (Biology) | 4 | 27 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 21 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 | 49 | 0 | 59 |
| BSc I (Math) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| BSc II (Biology) | 2 | 38 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 8 | 5 | 56 | 0 | 61 |
| BSc II (Math) | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 21 |
| BSc III (Biology) | 4 | 19 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 34 | 0 | 41 |
| BSc III (Math) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| MA Hindi (I-Sem) | 3 | 8 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 20 |
| MA Hindi (III-Sem) | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 13 |
| MA Political (I-Sem) | 4 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 14 |
| MA Plitical (III-Sem) | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 16 |
| MA Sociology (I-Sem) | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| MA Sociology (III-Sem) | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| PGDCA | 5 | 8 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 14 | 0 | 30 |
| TOTAL | 87 | 292 | 0 | 379 | 12 | 28 | 0 | 40 | 77 | 182 | 0 | 259 | 23 | 43 | 0 | 66 | 199 | 545 | 0 | 744 |

PRINCIPAL
Govt. Pt. Madhav Rao Sapre
Pendra Road

PRINCIPAL
Govt. Pt. Madhav Rao Sapre
Principal College Pendra Road

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पं. माधवराव सप्रे महाविद्यालय
पेण्ड्रारोड, जिला–गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ.ग.)
AISHE-C-22377 College Code - 2806 Phone No.-07751220108 Email-pmrscollege2019@gmail.com

# CERTIFICATE

This is certified that the rules of GOI/State government of reservation of seat earmarked for different reserved categories are being adopted in this institution for last five years. According to the guidelines issued by the department of Higher Education of Chhattisgarh, the percent of reservation for the admission of students of different categories are as follows:-

1. **Scheduled Tribe (ST) – 32% Vertical Reservation**
2. **Scheduled Cast (SC) – 12% Vertical Reservation**
3. **Other Backward Cast (OBC) – 14% Vertical Reservation**
   (If the seats reserved for obc category remain vecant due to non – availability of applicants of this category, these will be filled by eligible applicants of scheduled categories in reverse order, If the seats reserved for above categories remain vecant till last date of admission, these will be provided to other categories.)
4. **Freedom Fighter's Grandson/Daughter** – 3% Horizontal Reservation in respective categories.
5. **Differently abled** – 5% Horizontal Reservation in respective categories.
6. **Women/Girls**- 30% Horizontal Reservation in respective categories.
7. **For Third Gender Candidates**, The Honorable supreme court order No. WP (C) 400/2012 date 15.04.2014 clause 129 (3) which state that " We direct the Center and State Governments to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments" is being strictly followed in this institution.

PRINCIPAL
Govt. Pt. Madhav Rao Sapre
College-Pendra Road
Distt. Gaurella-Pendra-Marwahi (C.G.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1684 / 214 / आउशि / सम. / 2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14-07-21

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय,
   छत्तीसगढ़
2. प्राचार्य,
   समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
   छत्तीसगढ़

विषय :– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत जारी करने के संबंध में।**

संदर्भ :– अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17–95 / 2017 / 38–2 दिनांक 03.07.2021।

******

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत 2021–22 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत 2021–22 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

14.7.2021
(डॉ. एच.पी.खैरवार)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 1685 / 214 / आउशि / सम. / 2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14-07-21

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

14.7.2021
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. Pt. Madhav Rao Sapre
College-Pendra Road
Distt. Gaurella-Pendra-Marwahi (C.G.)

d:\praveen letter 2021\letter.docx222

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर
------00---------

No.: L-201 22 1145
AD (K) /JD/ /DD
Section समन्वय
Date 5 JUL 2021 C.H.E

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

संदर्भः– आपका ज्ञापन कमांक 1563/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 16.06.2021

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

समन्वय
08/07/2021

173

PRINCIPAL
Govt. Pt. Madhav Rao Sapre
College-Pendra Road
Distt. Gaurella-Pendra-Marwahi (C.G.)

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन

# उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2021–22

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

**PRINCIPAL**
**Govt. Pt. Madhav Rao Sapre**
**College-Pendra Road**
**Distt. Gaurella-Pendra-Marwahi (C.G.)**

Scanned with CamScanner

**प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–**

स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

2 आरक्षण–छत्तीसगढ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

21 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या म से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहॉ अनुसूचित जनजातियां साथ–साथ अनुसूचित जाति / अन्य पिछडा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इस विपरीत क्रम में विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहॉ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

122 (1) बिन्दु क 121 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटो का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको / ... स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के बच्चों या व्यक्तियो के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम ...

PRINCIPAL
Govt. Pt. Madhav Rao Sapre
College-Pendra Road
Distt. Gaurella-Pendra-Marwahi (C.G.)



Scanned with CamScanner

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत ... आरक्षित रहेगें ।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीट यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 **अधिभार :–**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्र पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर ... सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

**PRINCIPAL**
**Govt. Pt. Madhav Rao Sapre College-Pendra Road**
**Distt. Gaurella-Pendra-Marwahi (C.G.)**

13.1 **एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स**

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट — 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट — 03 प्रतिशत



Scanned with CamScanner

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

| | | |
|---|---|---|
| (ग) | "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत |
| (घ) | राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को | 04 प्रतिशत |
| (च) | नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (छ) | राज्यपाल स्काउट्स | 05 प्रतिशत |
| (ज) | राष्ट्रपति स्काउट्स | 10 प्रतिशत |
| (झ) | छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट | 10 प्रतिशत |
| (य) | ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट | 10 प्रतिशत |
| (र) | भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को | 15 प्रतिशत |

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को | 02 प्रतिशत |
| (ख) | व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को | 04 प्रतिशत |

(2) उपर्युक्त कडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को | 06 प्रतिशत |
| (ख) | व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को | 07 प्रतिशत |
| (ग) | संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को | 05 प्रतिशत |

भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त — 15 प्रतिशत

PRINCIPAL
Govt. Pt. Madhav Rao Sapre
College-Pendra Road
Distt. Gaurella-Pendra-Marwahi (C.G)

Scanned with CamScanner

करने वाले को

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता म

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 **विशेष प्रोत्साहन :–**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के ... एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पो... अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगित... भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण- पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 **संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :–**

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों का उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलंब से मुख्य परीक्षा परिणाम

PRINCIPAL
Govt. Pt. Madhav Rao S...
College-Pendra Road
Distt. Gaurella-Pendra-Marwahi (C.G.)

Chhattisgarh Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2012

1. Short title, extent and commencement.2. Definitions.3. Reservation of seats in Educational Institutions.
4. Horizontal reservation for special categories.5. Power to make rules and remove difficulties.

# *Chhattisgarh Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2012*

*(Act No. 9 of 2012)*

*Last Updated 14th October, 2019 [cg199]*

Dated 30.03.2012]

An Act to provide for reservation in admission of the students belonging to the Scheduled Tribes, the Scheduled Castes and the Other Backward Classes of citizens, to certain Educational Institutions established, maintained or aided by the State Government and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows : -

**1. Short title, extent and commencement.** - (1) This Act may be called the Chhattisgarh Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2012.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Notes: **Date of enforcement Notification. - Notification No. F 13-8/2012/R.C./1-3 dated the 30th March, 2012.** - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2012 (No. 9 of 2012), the State Government, hereby, appoints the Thirtieth day of March, 2012 as the date on which said Act shall come into force.

**2. Definitions.** - In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) *"Academic Session"* means the period in a calendar year, or a part thereof, during which an Educational Institution is open for teaching or instruction in any branch of study or faculty;

(b) *"Admission Test"* means the examination conducted by or on behalf of the State Government or an Educational Institution for determining the eligibility of students for admission to Educational Institutions, and includes the Pre-Medical Test (PMT), the Pre-Engineering Test (PET), the Pre-Agriculture Test (PAT) or any other test, by whatever name it may be called;

(c) *"Annual Permitted Strength"* means the number of seats in a course or programme for teaching or instruction in each branch of study or faculty authorized by an appropriate authority for admission of eligible students to an Educational Institution;

(d) *"Appropriate Authority"* means the University Grants Commission, the Bar Council of India, the Medical Council of India, the All India Council for Technical Education, the Nursing Council of India, the Dental Council of India, Central Council of India Medicine or any other authority or body established by any act for the time being in force, for the determination, coordination or maintenance of standards of higher education in any Educational Institution;

(e) *"Cut-off Date(s)"* means the date(s) of admission to a course or programme of teaching or instruction in a branch of study or faculty in an academic session, as may be declared by the State Government or the Educational Institution, as the case may be, for the purposes of the filling up vacant seats under clause (a), (b) and (c) of Section 3;

(f) *"Educational Institution"* means, -

(i) A university established or incorporated by or under an Act of the Legislature of the State of Chhattisgarh;

(ii) An institution, other than a minority educational institution referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution, maintained by or receiving aid from the State Government, whether directly or indirectly, and affiliated to a university referred to in clause (i);

(iii) An educational institution established by the State Government under the Chhattisgarh Societies Registration Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973);

(g) *"Eligible Students"* means those students who are eligible to be admitted to a course or programme of teaching or instruction in a branch of study or faculty, and possessing such qualifications as may be prescribed by the appropriate authority or the University or the State Government, as the case may be, or declared to be eligible, where so required, by the University or body authorized by the State Government for conducting the admission test, in respect of the admission to such course or programme of teaching or instruction in the branch of study or faculty;

(h) *"Faculty"* means the faculty of an Educational Institution;

(i) *"Other Backward Classes"* means the class or classes of citizens, not belonging to the creamy layer of society, who are soci educationally backward and are so determined from time to time by State Government;

Scanned with CamScanner

(k) *"Scheduled Tribes"* means the Scheduled Tribes as notified in relation to the State of Chhattisgarh under Article 342 of the Constitution;

(l) *"Teaching or Instruction in any Branch of Study"* means teaching or instruction in a branch of study leading to the award of diploma or degree at the bachelor (under-graduate), masters (post-graduate) and doctoral levels.

**3. Reservation of seats in Educational Institutions.** - The reservation of seats in admission to each academic session, and its extent in an Educational Institution shall be in the following manner, namely -

(a) out of the annual permitted strength in each branch of study or faculty, thirty two percent seats shall be reserved for the Scheduled Tribes;

(b) out of the annual permitted strength in each branch of study or faculty, twelve percent seats shall be reserved for the Scheduled Castes;

(c) out of the annual permitted strength in each branch of study or faculty, fourteen percent seats shall be reserved for the Other Backward Classes:

Provided that where the seats reserved for the Scheduled Tribes remain vacant due to non-availability of eligible students on the cut-off date(s), the same shall be filled from among eligible students belonging to the Scheduled Castes and *vice versa*.

Provided further that where seats reserved under clause (a), (b) and (c) remain vacant on the cut-off date(s), even after the arrangement referred to in the foregoing proviso, the same shall be filled from other eligible students.

Provided also that the State Government may, for the purpose of giving effect to reservation under this section, aggregate the annual permitted strength of any or all branches of study at the post-graduate or higher levels, if in the opinion of the State Government such reservation cannot be made in such branch or branches of study taken alone.

**4. Horizontal reservation for special categories.** - (1) The reservation of seats provided under clause (a), (b) and (c) of Section 3 shall be determined vertically.

(2) The percentages of horizontal reservation in respect of persons with disabilities, women, ex-service personnel, wards of freedom fighters, or other special categories of persons shall be as are notified for the purposes of this Act by the State Government from time to time, and shall be made within the vertical reservation under clause (a), (b) and (c), as the case may be, of Section 3.

**5. Power to make rules and remove difficulties.** - (1) The State Government may make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(3) Every rule made under this Act, and every provision made under sub-section (2) of this section, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature while it is in session.

Bare Acts Live

Copyright © 2016 Chawla Publications (P) Ltd. - Home | About Us | Contact Us

**PRINCIPAL**
**Govt. Pt. Madhav Rao Sapre**
**College-Pendra Road**
**Distt. Gaurella-Pendra-Marwahi (C.G.)**

Scanned with CamScanner